आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 121/2024(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. क्षेत्रीय कार्यालय जेएसईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रमेश झालानी पुत्र श्री हरीवल्लभ झालानी
2. पता–1. प्लाट नम्बर 3, सियाराम स्ट्रीट, चन्द्रकला कालोनी, जयपुर, राजस्थान ।
   2. प्लाट नम्बर 3 और प्लाट नम्बर 4 का दक्षिण भाग चन्द्रकला कालोनी, इंदिरा नगर दुर्गापुरा जयपुर।
   3. प्लाट नम्बर 100, झालानियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर ।
3. राज झालानी पत्नी श्री रमेश झालानी
4. रामबाबू झालानी पुत्र श्री हरीवल्लभ झालानी
5. उषा झालानी पत्नी श्री राम बाबू झालानी

पता–1. प्लाट नम्बर 3, सियाराम स्ट्रीट, चन्द्रकला कालोनी, जयपुर, राजस्थान
2. प्लाट नम्बर 3 और प्लाट नम्बर 4 का दक्षिण भाग चन्द्रकला कालोनी, इंदिरा नगर दुर्गापुरा जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–रीना वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 26.03.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.05.2011 को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नम्बर 3 चन्द्रकला कालोनी, इन्द्रा नगर दुर्गापुरा जयपुर क्षेत्रफल 420.82 वर्गगज एवं प्लाट नम्बर 4 का दक्षिण भाग चन्द्रकला कालोनी, इन्द्रा नगर, दुर्गापुरा जयपुर क्षेत्रफल 165.27 वर्गगज को बन्धक रख कर 87,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction ofFinancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति प्रार्थी बैंक ने उक्त दोनों बन्धक सम्पत्ति में से प्लाट नम्बर 3 चन्द्रकला कालोनी, इन्द्रा नगर दुर्गापुरा जयपुर क्षेत्रफल 420.82 वर्गगज की टाईटल डीड पेश करते हुये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्लाट नम्बर 3 का ही भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 87,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 54,46,054/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रमेश झालानी एवं श्री रामबाबू झालानी पुत्र स्व० श्री हरिबल्लभ झालानी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति प्लाट नम्बर 3 चन्द्रकला कालोनी, इन्द्रा नगर दुर्गापुरा जयपुर क्षेत्रफल 420.82 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **26.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कलक्टर) जयपुर (राज.)

प्र०

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner